

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, J.M.F.C., Gohad, DIST- Bhind (M.P)

Case No. 376/17 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

Name, parentage, caste and address of accused

① वीरवल S/O श्रीदेवला माहो 33 वर्ष B10 नरिन्  
नरिन् श्रीदेवला माहो

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 14.11.2018 को समय लगभग 16.11.0 बजे, थाना B11E3 अंतर्गत  
स्थान पर सट्टा पर्शियों पर अंक, संख्या,  
संकेत, चिन्ह या चित्रों के प्रदर्शन से रुपये पैसे का दाव लगाकर जुआं खेलाया। ऐसा करके तुमने यह  
अपराध कारित किया जो सार्वजनिक धुत अधिनियम 188 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध है  
और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो?

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class,  
Gohad Dist Bhind (M.P)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

A.K. Gupta  
Judicial Magistrate first class,  
Gohad Dist Bhind (M.P)

The offence proved. If any and in case under clause (d) clause (f) clause (g) of sub section 263 the  
value of the property in respect of which the offence has been committed



// निर्णय //

(आज दिनांक 21-12-17 को घोषित)


01. आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण बैरवल 510 झरियाला नहर 33  
वर्ष 810 नहर मोहल्ला रोहता

को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 4 (क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं अर्थदण्ड 1000/- रुपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 27 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि 300/- अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति 115/- को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के संबंध में अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
J. R. Gupta  
Judicial Magistrate first class  
Gohad Dist. Brijuni M.P.